न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व अपील संख्या – 03/2018

अपीलांट –

1. श्रीमती जेनकीदेवी पत्नी बाबुलाल
2. सुखदेव पुत्र जालाराम जातियान जाट निवासीगण खारिया आनावास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर
3. पतासी पत्नी अम्बालाल जाति जाट निवासी ग्राम साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंट–

1. सरपंच ग्राम पंचायत मालावास, तहसील पीपाड़ शहर
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 ग्राम पंचायत मालावास द्वारा दिनांक 06.04.2018 को प्रस्ताव संख्या 3 के जरिये नामांतरण संख्या 1649 खारिज किये जाने के विरूद्ध अपील का निर्णय

उपस्थित–श्री मंसूर अली छीपा अधिवक्ता अपीलांट

श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

–निर्णय– दिनांक : 30.08.2019

अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालावास पटवार क्षेत्र मालावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 362 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में सुखाराम,माधाराम,भोराराम पिसरान बीरमराम,संहिती पुत्री बीरमराम,रामी पुत्री कीरताराम,रामेश्वर,पारसराम पिसरान कालुराम,गीता,जेठी पुत्रियां कालुराम,सुरेश,सुनील पिसरान सुखाराम,जिमना पत्नी सुखाराम,हेमा,शौभा पुत्रियां सुखाराम जातियान कुम्हार निवासीगण ग्राम मादलिया,तहसील पीपाड़ शहर के नाम से वर्तमान में इन्द्राज है। वादग्रस्त आराजी में खसरा नंबर 362 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में से 09 बीघा 05 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि को यानि 73/75 वां हक व हिस्से को जरिये पंजिबद्ध बेचाननामा के अपीलांट ने सुखाराम वगैराह से दिनांक 07.12.2017 को खरीद कर लिया जो बेचाननामा उपपंजियक कार्यालय पीपाड़ शहर में पंजिबद्धशुदा है व खरीद के पश्चात अपीलांट ने विधिवत रूप से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के लिए नामांतरण की कार्यवाही हेतु बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति को हल्का पटवारी को पेश किया जिसने नियमानुसान नामांतरण संख्या 1649 पर नामांतरण को इन्द्राज किया व नामांतरण को स्वीकार करने हेतु विधिवत रूप से रेस्पोडेंट संख्या 1 के यहां प्रस्तुत किया जो नामांतरण संख्या 1649

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा बिना कोई कारण बताये प्रस्तात संख्या 3 के जरिये दिनांक 06.04.2018 को अपास्त कर दिया जिस पर अपीलांट ने रूष्ठ होकर उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2018 को निरस्त करने का निवेदन किया व अपीलांट ने अपनी खरीदशुदा भूमि को पंजिबद्ध बेचाननामा के जरिये खरीद करना बताया व गोचर भूमि नहीं होना बताया तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा पारित आदेश को अवेधानिक व विधि विरूद्ध होना बताते हुए निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 2 को पंजिबद्ध बेचाननामा के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

अपील अपीलांट को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेंटस संख्या 1 की ओर से वकील बाबुलाल विश्नोई ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व रेस्पोडेंट संख्या 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है ।

रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए अंकन किया गया कि हस्तगत अपील नामांतरण संख्या 1649 को दिनांक 06.04.2018 को प्रस्ताव संख्या 3 के जरिये सही खारिज किया गया है क्योंकि अपीलांट का खरीद की गई भूमि पर कब्जा नहीं है व वादग्रस्त भूमि डोली मंदिर हनुमानजी की भूमि है तथा अपीलार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है व मूल तथ्यों को छुपा कर अपील पेश की गई है व अपील भारी खर्चे से खारिज किये जाने का निवेदन किया व वादग्रस्त भूमि को लेकर राजस्व वाद इसी न्यायालय में लम्बित होने से नामांतरण की कार्यवाही को फिस्कल कार्यवाही बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया व नामांतरण संख्या 1204 ग्राम पंचायत द्वारा इसी आधार पर खारिज करना बताया व उसकी अपील संख्या 8/2012 इसी न्यायालय में पेश होना बताते हुए निर्णय दिनांक 22.11.2013 को तहसीलदार पीपाड शहर को प्रकरण भेजा जाना बताया व तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2013 बअनवान बीरमराम बनाम पटवारी मालावास के रूप में दर्ज कर निर्णय दिनांक 12.05.2017 को करना बताया व उसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 636/2017 पेश किया जाना बताया व नामांतरण संख्या 1204 का आज भी विचाराधीन बताया व तहसीलदार पीपाड़ शहर के निर्णय दिनांक12.05.2017 को अपास्त करने से नामांतरण संख्या 1615 को स्वतः ही खारिज होना बताया व धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार नामांतरण संख्या 1204 को लेकर विवाद न्यायालयो में विचाराधीन होने से उक्त अपील को निरस्त योग्य बताया व वादग्रस्त भूमि को डोली मंदिर हनुमानजी की नावालिग भूमि होना बताते हुए सभी प्रकार के लेनदेन को निरस्त योग्य बताया व अंकन किया कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय में लिखा है कि तहसीलदार पीपाड शहर खसरा संख्या 362 की सम्पूर्ण जांच करे कि वह डोली की भूमि तो नहीं है तथा अपील को धारा 10 सीपीसी व धारा 141 सीपीसी से बाधित होना बताया व इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट की बहस को सुना गया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सर्व प्रथम नामांतरण संख्या 1204 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा खारिज करने पर उसकी अपील इसी न्यायालय में पेश की गई थी जो अपील संख्या 8/2012 निर्णय दिनांक 22.11.2013 को अपीलांट के पक्ष में निर्णित हुई व प्रकरण को सुनवाई का अवसर देकर भूमिधारी तहसीलदार को निर्णित करने के लिए भेजा गया जिस पर भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपने यहां रिमांड प्रकरण संख्या 18/2013 दर्ज किया व दिनांक 12.05.2017 को निर्णित कर वादग्रस्त भूमि को डोली की भूमि होना नहीं मानते हुए सुखाराम वगैराह के नाम से नामांतरण इन्द्राज करने का आदेश दिया जिसकी पालना में सुखाराम वगैराह के हक में नामांतरण स्वीकार हुआ व सुखाराम वगैराह से अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि को जरिये पंजिबद्ध बेचाननामा के खरीद कर लिया इस दौरान भूमिधारी तहसीलदार के आदेश की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में रेस्पोडेंटस ने प्रस्तुत की जिस पर अपील संख्या 636/2017 दिनांक 10.05.2018 को निर्णित हुई व तहसीलदार पीपाड़ शहर के आदेश दिनांक 12.05.2017 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली को भेजा गया इस दौरान अपीलांट ने अपनी खरीदशुदा भूमि का नामांतरण इन्द्राज करवाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 के यहां सम्पर्क किया व हल्का पटवारी ने नामांतरण संख्या 1649 नामांकन रजिस्टर में इंद्राज किया जो रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 06.04.2018 को खारिज कर दिया इसी दौरान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 636/2017 में निर्णित पत्रावली को जो तहसीलदार पीपाड़ शहर को वापस निर्णय के लिए भेजी गई उसका निर्णय रिमांड प्रकरण संख्या 18/2013 को दिनांक 27.06.2019 को तहसीलदार पीपाड़ शहर ने किया व वादग्रस्त भूमि को डोली की होना नहीं माना व वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के हक में नामांतरण स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया लेकिन उक्त अपील विचाराधीन होने से भूमिधारी ने नामांतरण स्वीकार करने से इंकार कर दिया जिस पर उक्त अपील को इस आश्य के साथ निर्णित करने का निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का नामांतरण संख्या 1649 रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा गलत खारिज किया गया है इसलिए पंजिबद्ध बेचाननामा के आधार पर अपीलांट के नाम से भूमिधारी को नामांतरण स्वीकार करने व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु अपीलांट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेंट ने प्रारम्भिक आपत्तियों को ही अपना जवाब होना बताते हुए अलग से जवाब नहीं देने का निवेदन किया साथ ही अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि डोली की भूमि है जिस पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है व वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य इसी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि को लेकर मूल वाद संख्या 26/2012 विचाराधीन होना बताया व वर्तमान में तहसीलदार पीपाड़ शहर के निर्णय दिनांक 27.06.2019 रिमांड प्रकरण संख्या 18/2013 पर दिनांक 13.09.2019 तक

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर से दिनांक 09.08.2019 को स्थगन होना जाहिर किया तथा मुख्य रूप से बताया कि नामांतरण संख्या 1204 को लेकर आज दिनांक तक अपील पेन्डिंग है इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है जो खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य बिन्दु यह उभर कर आया कि ग्राम मालावास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 362 डोली की भूमि है या नहीं तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा नामांतरण संख्या 1649 दिनांक 06.04.2018 को कब्जे के अभाव में व डोली भूमि होना मानते हुए खारिज किया गया जो सही है या नहीं। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 362 को लेकर भूमिधारी तहसीलदार द्वारा रिमांड प्रकरण संख्या 18/2013 में स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में अंकन किया गया है कि ग्राम मालावास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 362 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा डोली की भूमि नहीं है तथा खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 में वक्त सेटलमेंट के समय से चौथा वल्द लिखमा कौम कुम्हार साकिन मादलिया के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है तथा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा अपने पत्र कमांक/भू.अ./2017/671 दिनांक 20.03.2017 में अपने रेकर्ड के अनुसार डोली की भूमि होना नहीं बताया है तथा वक्त सेटलमेंट के खाता संख्या 168 में कॉलम नंबर 4 में चोथा वल्द लिखमा के नाम से उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होना बताया तथा चोथा के फौत होने के बाद उनके विधिक वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के नाम से राजस्व रेकर्ड में नामांतरण संख्या 1615 दिनांक 14.08.2017 को नियमानुसार स्वीकृत होना बताया तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 636/2017 में निर्णय पारित होने के बाद उसकी पालना में भूमिधारी तहसीलदार द्वारा दुबारा रिमांड प्रकरण संख्या 18/2013 को दिनांक 27.06.2019 को पुनः निर्णित किया जिसमें विस्तृत रूप से भूमिधारी ने अंकन किया कि वादग्रस्त भूमि डोली की भूमि नहीं है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि डोली की भूमि नहीं है राजस्व रेकर्ड का संधारण करने व राजस्व रेकर्ड सम्बंधि सही तथ्यों की जानकारी देना भूमिधारी से सम्बंधित है व दोनों ही बार भूमिधारी ने अपने आदेश में वादग्रस्त भूमि को डोली की भूमि होना नहीं माना है ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 जबरदस्ती रूप से वादग्रस्त आराजी को डोली की भूमि बता कर अपीलांट को उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित करना चाहते है तथा अपीलांट के हक में पंजिबद्ध बेचाननामा भी प्रभाव में है जो निरस्त किया हुआ नहीं है रेस्पोडेंट संख्या 1 को पंजिबद्ध व विधिक रूप से मान्य किये गये टाईटल की जांच करने का विधिक अधिकार नहीं है साथ ही खाली कृषि की भूमि पर किसका कब्जा है या नहीं इस संदर्भ में साक्ष्य जुटाना या अन्य का कब्जा बता कर नामांतरण खारिज करना कतई विधि सम्मत नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय में यदि कोई अन्य वाद वादग्रस्त आराजी को

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

लेकर विचाराधीन है तो उसका निर्णय उन पक्षकारान पर लागू रहेगा लेकिन विचाराधीन पत्रावलियों में इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील पर कार्यवाही नहीं करने को लेकर कोई स्थगन नहीं है इसलिए इस न्यायालय को उक्त अपील को निर्णित करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादग्रस्त भूमि डोली की भूमि हो इस बारे में रेस्पोंडेंट द्वारा साबित नहीं किये जाने से व भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा रिमांड प्रकरण संख्या 18/2013 में निर्णय दिनांक 12.05.2017 व निर्णय दिनांक 27.06.2019 को विस्तृत रूप से निर्णय करते हुए डोली की भूमि नहीं मानने से व राजस्व रेकर्ड से भी डोली की भूमि होना साबित नहीं होने से महज डोली की भूमि होना बता कर व अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं होना बता कर नामांतरण संख्या 1649 निर्णय दिनांक 06.04.2018 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा खारिज किया गया जो आदेश विधि सम्मत नहीं होने से व अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 392 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि का नामांतरण अपीलांट के पंजिबद्ध बेचाननामा दिनांक 07.12.2017 कम संख्या 201703130102922 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इंद्राज करे। उक्त निर्णय की पालना माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 138/2019 के अधीन रहेगी।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner